न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 07/2025
Gcms reg. No. 2025/70

प्रार्थी :– अप्रार्थी :–

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाडा

बनाम

श्री राजमल उर्फ राजा पिता श्री कन्हैयालाल तम्बोली, निवासी डेगली माता मन्दिर के पास, कंधारवाडी, थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री राजमल उर्फ राजा पिता श्री कन्हैयालाल तम्बोली, निवासी डेगली माता मन्दिर के पास, कंधारवाडी, थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नंम्बर	न्यायालय निर्णय
1	203/22–07–2024	धारा 13 आर.पी.जी.ओ	122/2023	जुर्माना 100 रु.
2	169/30–09–2024	धारा 13 आर.पी.जी.ओ	107/2024 08.10.2024	जुर्माना 100 रु.

श्री राजमल उर्फ राजा पिता श्री कन्हैयालाल तम्बोली, निवासी डेगली माता मन्दिर के पास, कंधारवाडी, थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा [illegible] 13 आर.पी.जी.ओ तहत कुल 2 प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया जाकर स[illegible] उक्त कृत्य अपराध होने के साथ साथ एक सामाजिक बुराई है, जिसका समाज के लोगा ए[illegible] वयुवको पर बुरा प्रभाव [illegible]। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृति का है। समाज के बीच में इस व्यक्ति का निष्कासन किया जाना जरुरी है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 22–12–2025 को अप्रार्थी गैरसायल का नोटिस बाद तामिल पेश हुआ। गैरसायल की ओर से श्री प्रवीण सिंह सोलंकी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ।

दिनांक 20.01.2026 को अप्रार्थी गैरसायल ने उनके अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आरोपी द्वारा वर्तमान में कोई अनैतिक कार्य अथवा जुआ सट्टा का कार्य नही किया जा रहा है तथा आरोपी उक्त अपराध को त्याग कर सामान्य जीवन यापन कर रहा है। प्रकरण में कोई साक्ष्य परिविक्षा न करा कर स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करना चाहता है। निवेदन किया कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए प्रकरण निस्तारित फरमावे।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल पर जुआ अधिनियम में कुल 2 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 2 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृति का है, जो समाज में आमजन कें लिये हानिकारक व घातक है। गैरसायल को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजुद भी अप्रार्थी/ गैरसायल सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है जिसमें गैरसायल सजायाब हुआ है। परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबुत पेश किये है। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणो में कार्यवाही किये जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

सिफारीश की गई है। पत्रावली में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजुद है, अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 2 प्रकरणो में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री राजमल उर्फ राजा पिता श्री कन्हैयालाल तम्बोली, निवासी डेगली माता मन्दिर के पास, कंधारवाडी, थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि –

1. श्री राजमल उर्फ राजा पिता श्री कन्हैयालाल तम्बोली, निवासी डेगली माता मन्दिर के पास, कंधारवाडी, थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा की सीमा से 20 दिवस की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) अन्तर्गत क्षेत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।
2. यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
3. अप्रार्थी/ गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना पीपलखुंट जिला प्रतापगढ में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नही छोडेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।
4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा/ धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ/ मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।
5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भी[illegible] उप[illegible] नही हो सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

[illegible]
बांसवाड़ा (राज.)